# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 43 / प्रा.पत्र / 2022

**उनवान प्रकरण**

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बून्दी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी (राज.)

– **प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री भोलांशकर प्रजापत पुत्र श्री देवलाल प्रजापत निवासी माताजी का बरडा, सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी एफ.बी.ओ.मैसर्स प्रजापति किराणा स्टोर वन विभाग की चौकी के पास सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. मैसर्स प्रजापति किराणा स्टोर वन विभाग की चौकी के पास सथूर तहसील हिण्डोली बून्दी जिला बून्दी।

– **अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/58**
**एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थिति :–

**प्रार्थी की ओर से** :– श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
**अप्रार्थीगण की ओर से** :– विद्वान अभिभाषक श्री दिनेश पारिक।

**निर्णय** दिनांक: 26.03.2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी ने अप्रार्थीगण के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/58 एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 03.02.2022 को समय 04:00 पी.एम. बजे मैसर्स मैसर्स प्रजापति किराणा स्टोर वन विभाग की चौकी के पास सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी पर पहुँचा। वहाँ पर प्रोपरायटर की हैसियत से श्री भोलाशंकर प्रजापत पुत्र श्री देवलाल प्रजापत अपने प्रतिष्ठान मैसर्स प्रजापति किराणा स्टोर वन विभाग की चौकी के पास सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी पर खाद्य पदार्थ कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री भोलाशंकर प्रजापत को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वक्त निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त विक्रेता की दुकान में स्टील की 2 टंकी में लगभग 20 किलोग्राम रिफइंड सोयाबीन तेल (खुला) रखा हुआ था। इस **रिफाइंड तेल (खुला)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर श्री भोलाशंकर प्रजापत आ0 श्री देवलाल प्रजापत को गवाह के सामने फार्म न0 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर भेलाशंकर प्रजापत आ0 श्री देवलाल प्रजापत एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। दुकान में स्टील की 2 टंकी में लगभग 20 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन तेल में से एक कुल 1600 ग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर एक स्टील के जग में वास्ते नमूना जॉच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री भोलाशंकर प्रजापत आ0 श्री देवलाल प्रजापत को रू 224/– अक्षरे दौ सौ चौबीस रूपये नगद देकर नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री भोलाशंकर प्रजापत के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवां एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। उक्त खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** 1600 ग्राम को अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक में 400–400 ग्राम भरकर, प्लास्टिक की शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी. ओ. के कोड एवं कमांक यू–1805 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं भोलाशंकर प्रजापत तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. यू 1805 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से निपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहों के समक्ष श्री भोलांशकर प्रजापत मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवायें। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाई की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहो के सामने श्री भोलाशंकर प्रजापत को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाकर, मौके पर तैयार समस्त कागजात यथा मौका फर्द, फॉर्म न0 5ए खरीद रशीद एवं सील शुदा नमूने के चारो भागो को कार्यालय लेकर आया।

3. नमूना वास्ते जॉच खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा भेजा गया। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी के पत्रांक एफएसएसए/2022/167 दिनांक 31. 03.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नयापुरा कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 291/पीएचएल/एक्ट/2022/296 दिनांक 28.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
मु.स. 43 / प्रा.पत्र. / 2022 बउनवान खा.सु.अधि. बून्दी बनाम भोलाशंकर प्रजापत

**(खुला)** कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला) कॉन्ट्रावेन** (Contravene) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (iv) व (v) उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

4. खाद्यय सुरक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेज निम्न हैः–

| क्र. स. | दस्तावेज विवरण | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | अभिहित अधिकारी बून्दी को प्रेषित पत्र | 09.05.2022 |
| 2. | पदस्थापन आदेश | 05.04.2021 |
| 3. | गजट नोटिफिकेशन | 26.07.2011 |
| 4. | पदस्थापन आदेश | 10.08.2011 |
| 5. | कार्य क्षैत्र आवंटन गजट नोटिफिकेशन | 11.04.2012 |
| 6. | रसीद माल की खरीद | 03.02.2022 |
| 7. | फार्म न 5ए असल | 03.02.2022 |
| 8. | फर्द रिर्पोट असल | 03.02.2022 |
| 9. | मैसर्स प्रजापति किराणा स्टोर वन विभाग की चौकी के पास सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति। | 08.08.2019 |
| 10. | खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नयापुरा कोटा से नमूना जमा प्राप्ति व फार्म न06 की द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद। | 04.02.2022 |
| 11. | अभिहीत अधिकारी द्वारा नमुना के तीन भाग (ii), (iii) एवं (iv) की प्राप्त रसीद | 04.02.2022 |
| 12. | अभिहीत अधिकारी बून्दी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच रिर्पोट प्रेषित पत्र। | 31.03.2022 |
| 13. | खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नयापुरा कोटा की खाद्य नमूना जांच रिर्पोट। | 28.02.2022 |
| 14 | अभियोजन स्वीकृति | 10.05.2022 |

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक की बहस सुनी गयी। अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अप्रार्थीगण द्वारा फर्म मैसर्स प्रजापति किराणा स्टोर वन विभाग की चौकी के पास सथूर तहसील हिण्डोली बून्दी जिला बून्दी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया हैं। तथ्य मनगढन्त व बनावटी होने से स्वीकार नहीं हैं। अतः प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाये जानें की कृपा करे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
मु.स. 43/प्रा.पत्र./2022 बउनवान खा.सु.अधि. बून्दी बनाम भोलाशंकर प्रजापत

6. हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं कमांक U-1805 की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, नयापुरा, कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 291/पीएचएल/एक्ट/2022/296 दिनांक 28.02.2022 के अनुसार निम्न है :-

The sample to be "Fars, Oils and Fat Emulsions" falling under Regulation No. 2.2.1-16 Refined Soyabean Oil of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition for analysis and has been analysed on 21-02-2022 to 28-02-2022.

**Analysis Report :-**

(1) **Sample description**:- Sample is in a sealed and intact in narrow mouth PET bottle..
(2) Physical appearance:- Transparent clear oil. Free from suspended matter, separated water.
(3) Lable:- Loose Sample Hence it is Contravention to Regulation No. 2.3.15(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation 2011.

**Opinion:** The sample of "Refined Soyabean Oil (loose)" bearing Code No. and Sr. No. U-1805 of Designated Officer cum the Chief Medical Officer, Bundi, is Contravention to Regulation No. 2.3.15(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011.

[A contravention to Regulation No. 2.3.15(b) of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation 2011 occurs when edible oil is sold, exposed for sale, distributed, offered for sale, dispatched, or delivered for sale, but is not packed in a container, marked, and labeled as specified in FSSAI regulations]

7. खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, नयापुरा, कोटा की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला) कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण श्री भोलांशकर प्रजापत पुत्र श्री देवलाल प्रजापत निवासी माताजी का बरडा, सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी एफ.बी.ओ.मैसर्स प्रजापति किराणा स्टोर वन विभाग की चौकी के पास सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 द्वारा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला) कॉन्ट्रावेन** (Contravene) का विकय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

करके Regulation No. 2.3.15(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है।

8. खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के उल्लंघन की दशा में **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) में राशि दौ लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना/दण्ड/शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है, तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

9. अतः अप्रार्थीगण श्री भोलांशकर प्रजापत पुत्र श्री देवलाल प्रजापत निवासी माताजी का बरडा, सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी एफ.बी.ओ.मैसर्स प्रजापति किराणा स्टोर वन विभाग की चौकी के पास सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 को **कॉन्ट्रावेन (Contravene) रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** जो विक्रय के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माना राशि 30,000 रूपये (अक्षरे–तीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थीगण आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद (0210–04–800–03–00) में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावें। आदेश की तामील तहसीलदार बून्दी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा को लिखाया जाकर आज दिनांक 26.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी